दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

***निर्णय की तिथि**: 10.01.2025*

<u>सि.वा. (वाणि.) 440/2021</u>
<u>CS (COMM) 440/2021</u>

टेक ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड .....वादी

द्वारा: श्री आयुष केवलानी और सुश्री मुशन अग्रवाल, अधिवक्ता

बनाम

गुरसाहिब सिंह सेठी और अन्य .....प्रतिवादीगण

द्वारा: श्री अभिनव शर्मा के साथ सुश्री अवसी मलिक और श्री दीपक जैन, प्रति.-1 और प्रति.-3 के अधिवक्तागण ।
श्री सिद्धथ बंभा और सुश्री सुचारू गर्ग, प्रति-2 के अधिवक्तागण

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास महाजन

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. विकास महाजन</u>

<u>अंत.आ. 15819/2024 (प्रतिवादी संख्या 1 और 3 द्वारा धारा 151 सीपीसी के साथ पठित आदेश IX नियम 7 के अंतर्गत दिनांक 04.11.2022 के आदेश को वापस लेने हेतु दायर किया गया)</u>

1. वर्तमान आवेदन प्रतिवादी संख्या 1 और 3 (आगे 'प्रतिवादीगण' कहा जाएगा) द्वारा दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 04.11.2022 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को वापस लेने की मांग की गई है, जिसके तहत उक्त प्रतिवादियों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी।

2. प्रतिवादियों यह मानना यह है, और इस संबंध में प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अभिनव शर्मा ने यह तर्क दिया है कि दिनांक 04.11.2012 के आदेश द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही (ex parte) की गई थी, जो कि उनके पूर्व अधिवक्ता के लापरवाह आचरण के कारण हुआ। अतः इसके लिए प्रतिवादियों को कष्ट नहीं उठाना चाहिए। उनका कहना है कि आवेदक/प्रतिवादी दोषी नहीं थे।

3. अपनी प्रस्तुति के बारे में विस्तार से बताते हुए, श्री शर्मा प्रस्तुत करते हैं कि मुकदमे में सम्मन दिनांक 04.10.2021 के आदेश के माध्यम से जारी किया गया था। इसके बाद, मामले को 10.11.2021 पर विद्वान संयुक्त निबंधक के समक्ष सूचीबद्ध किया गया और उसी दिन, प्रतिवादियों के पूर्व वकील श्री डी. हसीजा उपस्थित हुए और लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय मांगा। तदनुसार, विद्वान संयुक्त निबंधक ने लिखित बयान दाखिल

करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और मामला 04.02.2022 पर सूचीबद्ध किया गया।

4. 04.02.2022 पर, श्री हसीजा विद्वान संयुक्त निबंधक के सामने पेश हुए और प्रस्तुत किया कि चूंकि प्रतिवादी कोविड-19 से पीड़ित थे, इसलिए लिखित बयान दायर नहीं किया जा सका। इसके बाद मामले को 18.04.2022 पर दलीलों को पूरा करने के लिए रखा गया था।

5. दिनांक 18.04.2022 को श्री हसीजा पुनः माननीय संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हुए और मामले से अपनी वकालतनामा वापस लेने का निवेदन किया। तथापि, माननीय संयुक्त रजिस्ट्रार ने यह अवलोकन किया कि प्रतिवादियों की ओर से कोई वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया है। तदनुसार, श्री हसीजा ने यह आश्वासन दिया कि वे प्रतिवादियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने और अगली सुनवाई की तिथि अर्थात् 14.07.2022 को उपस्थित होने की सूचना देंगे। इसके पश्चात, 14.07.2022 को प्रतिवादियों की ओर से नए अधिवक्ता उपस्थित हुए और एक सप्ताह के भीतर उनके पक्ष में वकालतनामा दाखिल करने का आश्वासन दिया। मामला 10.10.2022 को अभिलेखों की पूर्ति हेतु सूचीबद्ध किया गया।

6. 10.10.2022 पर, श्री हसीजा फिर से उक्त प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए और लिखित बयान दायर करने के लिए और समय मांगा। हालाँकि, विद्वान संयुक्त निबंधक ने यह नोट करते हुए लिखित बयान दायर करने के

उनके अधिकार को ख़त्म कर दिया कि आज तक प्रतिवादियों की ओर से न कोई लिखित बयान और न ही वकालतनामा दायर किया गया है। इस प्रकार, मामले को 22.11.2022 पर अदालत के समक्ष रखा गया था।

7. श्री शर्मा प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त की अगली कड़ी में अभियोक्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ संक्षिप्त निर्णय की मांग करते हुए आदेश XIIIA के तहत अंत.आ. सं. 17462/2022 दायर किया। उक्त अंत.आ. को 27.10.2022 पर न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, हालांकि, मामले को उस तारीख को नहीं उठाया जा सका और इसे 04.11.2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 04.11.2022 पर, उपरोक्त अंत.आ. को सुनवाई के लिए लिया गया था। हालांकि, कोई भी प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं हुआ। तदनुसार, प्रतिवादियों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की गई। इसलिए, वर्तमान आवेदन दायर किया गया है।

8. श्री शर्मा आगे प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 04.11.2022 के आदेश को पारित करने के बाद, 25.01.2023 पर बहस के लिए मामला तय किया गया था। हालाँकि, उक्त तिथि पर, मामले को 'आंशिक सुनवाई' की श्रेणी से जारी कर दिया गया और इसे 17.02.2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और उसके बाद, इसे 23.05.2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

9. वह प्रस्तुत करता है कि इस पूरे समय प्रतिवादीगण वर्तमान वाद की स्थिति के संबंध में पूर्णतः अनभिज्ञ थे क्योंकि श्री हसीजा, जो प्रतिवादी संख्या

1 का घरेलू हिंसा का मामला देख रहे थे, इस मामले में भी उनका प्रतिनिधित्व करने के इच्छुक थे। चूँकि श्री हसीजा ने प्रतिवादी संख्या 1 को आश्वस्त किया था कि वह प्रतिवादीगण का उचित रूप से प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा था कि उनके केस को सही ढंग से संभाला और आगे बढ़ाया जा रहा है। तथापि, श्री हसीजा के लापरवाह और उदासीन दृष्टिकोण का पता प्रतिवादी संख्या 1 को केवल मई 2023 में चला, जब उनके लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार तलाक मामले हि.वि.अ. संख्या 1607/2021 में, जिसे भी श्री हसीजा ही देख रहे थे, माननीय पारिवारिक न्यायालय द्वारा बंद कर दिया गया।

10. उन्होंने प्रस्तुत किया कि पूर्ववर्ती वकील के लापरवाहीपूर्ण आचरण के कारण, प्रतिवादियों ने मई, 2023 में एक नए वकील को नियुक्त किया और वे 23.05.2023 पर अदालत के समक्ष पेश हुए और इस आधार पर स्थगन की मांग की कि वे हाल ही में मामले में लगे हुए हैं।

11. इसके बाद नए वकील द्वारा अदालत के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया और यह पता चला कि प्रतिवादियों को दिनांक 04.11.2022 के आदेश के माध्यम से एकपक्षीय कार्रवाई की गई है और इसके तुरंत बाद, वर्तमान आवेदन दायर किया गया था और यह 22.08.2023 पर सूचीबद्ध हो गया था।

12. श्री शर्मा यह तर्क देते हुए अपनी दलील की पुष्टि करते हैं कि प्रतिवादियों के पूर्व वकील प्रतिवादियों की ओर से 10.11.2021, 04.02.2022,

18.04.2022 और 10.10.2022 पर पेश हुए थे। बीच में, 14.07.2022 पर, सुश्री प्राची अर्थात श्री हसीजा की बेटी और श्री हसीजा के कार्यालय में एक सहयोगी श्री कार्तिक चौधरी उपस्थित हुए थे।

13. वे आगे कहते हैं कि मिस्टर हसीजा का व्यवहार इस बात से पता चलता है कि भले ही उन्होंने 18.04.2022 को अपना वकालतनामा वापस लेने का अनुरोध किया था, फिर भी 14.07.2022 को सुश्री प्राची और मिस्टर कार्तिक प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए और प्रतिवादियों की ओर से वकालतनामा दाखिल करने का वचन दिया। जबकि, बाद की तारीख यानी 10.10.2022 को, मिस्टर हसीजा फिर से पेश हुए और लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय मांगा।

14. वह आगे प्रस्तुत करता है कि पूर्ववर्ती वकील के आचरण को देखते हुए, प्रतिवादियों ने दिल्ली बार काउंसिल में उसके खिलाफ दिनांक 09.08.2023 की शिकायत भी की थी।

15. श्री शर्मा ने अपने निवेदन के समर्थन में इस न्यायालय के ***मीनू भार्गव बनाम मुकुल पी. भार्गव अन्य***[1] के निर्णय पर भरोसा किया है। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि जहाँ प्रतिवादियों की ओर से गैर-हाज़िरी पूरी तरह से सद्भावनापूर्ण (bona fide) और अनजाने में हो, वहाँ वादी को अपने अधिवक्ता की लापरवाही के कारण कष्ट नहीं उठाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि

[1] 2011 एससीसी ऑनलाइन डेल 2574

दिनांक 04.11.2022 का आदेश निरस्त नहीं किया जाता और प्रतिवादियों को वर्तमान वाद का प्रतिवाद करने का अधिकार नहीं दिया जाता, तो यह न्याय का उपहास होगा।

16. तदनुसार, यह प्रार्थना की जाती है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2022 के आदेश को वापस लेने के लिए एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए।

17. दूसरी ओर, वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री आयुष केवलानी ने यह प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदन ग्राह्य नहीं है, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश IX नियम 7 यह प्रावधान करता है कि जहाँ न्यायालय ने किसी प्रतिवादी के विरुद्ध वाद की *एकपक्षीय* सुनवाई स्थगित कर दी हो, वहाँ ऐसा प्रतिवादी उपस्थित होकर अपनी पूर्व गैर-हाज़िरी का ठोस कारण उस स्थगित तिथि से पहले या उसी दिन प्रस्तुत कर सकता है। किंतु वर्तमान मामले में, यद्यपि प्रतिवादियों के विरुद्ध 04.11.2022 को *एकपक्षीय* कार्यवाही की गई थी और अगली सुनवाई 25.01.2023 को तर्कों के लिए सूचीबद्ध थी, फिर भी वर्तमान आवेदन बहुत बाद में, यानि 18.08.2023 को दाखिल किया गया है।

18. वे यह प्रस्तुत करते हैं कि 25.01.2023 की स्थगित सुनवाई की तिथि पर उपस्थित होकर अपनी पूर्व गैर-हाज़िरी का ठोस कारण बताने के बजाय, प्रतिवादी उस दिन भी अप्रतिनिधित रहे। यहाँ तक कि पहली स्थगित तिथि के

बाद भी, जब मामला 17.02.2023 तथा 23.05.2023 को सूचीबद्ध किया गया, तब भी प्रतिवादियों की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया।

19. वह इस न्यायालय के ***सुभाष कुमार बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण***[2] के निर्णय पर भरोसा करते हैं और यह तर्क देते हैं कि चूँकि प्रतिवादियों ने वर्तमान आवेदन दाखिल करने में हुई असाधारण देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है – न तो विलंब की क्षमा याचना हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है और न ही अन्य किसी प्रकार से – इसलिए वर्तमान आवेदन ग्राह्य नहीं है।

20. वे यह प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान वाद में सम्मन बहुत पहले, 04.10.2021 को जारी किया गया था। इसके अलावा, वादी ने 01.11.2021 को प्रतिवादियों की पर्सनल ई-मेल आईडी - gursahib@sahibjitravels.com पर समन के साथ-साथ वाद-पत्र की कॉपी और वादी का सीपीसी के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के अंतर्गत आवेदन भी भेजा।

21. वह यह प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय के दिनांक 10.10.2022 के आदेश के पारित होने के बाद भी, जिसके द्वारा प्रतिवादियों का लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो गया था [जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 06.09.2024 को मू.आ. 75/2023 में प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील में भी बरकरार रखा], वादी ने अंत.आ. 17462/2022 (आदेश XIII-A के अंतर्गत) दायर किया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादियों का

[2] 1999 एससीसी ऑनलाइन डेल 224

लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो चुका है। यह आवेदन 11.10.2022 को प्रतिवादियों को व्यक्तिगत रूप से भी दिया गया था, अर्थात् 04.11.2022 के आदेश पारित होने से बहुत पहले। अतः प्रतिवादियों द्वारा अपने ही चूक और लापरवाही के लिए कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

22. वह आगे प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी विचाराधीन आदेश की तारीख से नौ महीने की देरी के बाद दिल्ली बार काउंसिल के समक्ष कथित शिकायत दर्ज करने के लिए कोई स्पष्टीकरण देने में भी विफल रहे हैं। अतः, कथित शिकायत तथा वर्तमान आवेदन केवल एक बाद की सोच और वादी की अंत.आ. 17462/2022, जिसमें सारांश निर्णय की मांग की गई है, के प्रति प्रतिघात मात्र है।

23. वह प्रस्तुत करता है कि भले ही वर्तमान आवेदन की अनुमति दी जानी है, फिर भी प्रतिवादी लिखित बयान दायर करने के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि दिनांक 04.11.2022 का आदेश के पारित होने से पहले इस न्यायालय द्वारा उनका अधिकार ख़त्म कर दिया गया था।

24. श्री केवलानी, अपने निवेदन के समर्थन में, इस न्यायालय के ***हरिंदर सिंह बनाम कुलदिप सिंह***[3] के निर्णय पर भरोसा करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि चूँकि प्रतिवादीगण आदेश IX नियम 7 सी.पी.सी. के अंतर्गत अपेक्षित

[3] 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2869

किसी भी 'ठोस कारण' को दिखाने में असफल रहे हैं, अतः वे अपने पूर्ववर्ती अधिवक्ता के कथित कदाचार या लापरवाही से किसी भी लाभ के अधिकारी नहीं हैं। यह स्थापित विधि है कि अधिवक्ता का अनुपस्थित रहना आवश्यक रूप से 'पर्याप्त/ठोस कारण' नहीं माना जाता और पक्षकारों के आचरण को भी देखा जाता है। इसलिए, यह आवेदन विधि और तथ्यों दोनों के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है।

25. मैंने अभियोक्ता के साथ-साथ प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

26. यह स्वीकार्य तथ्य है कि सभी प्रतिवादियों को 27.10.2021 को सम्मन जारी किए गए थे। इसके बाद, अगली सुनवाई की तारीख 10.11.2021 को श्री डी. हसीजा, अधिवक्ता, प्रतिवादियों की ओर से विद्वान संयुक्त निबंधक के समक्ष उपस्थित हुए और लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय माँगा। 04.02.2022 को श्री हसीजा पुनः उपस्थित हुए और यह कहते हुए समय माँगा कि प्रतिवादी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, इसलिए लिखित बयान दाखिल नहीं किया जा सका। इसके बाद, 18.04.2022 को श्री हसीजा उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने मामले से अपनी वकालतनामा वापस लेने का अनुरोध किया। हालाँकि, विद्वान संयुक्त निबंधक ने यह देखा कि प्रतिवादियों की ओर से कोई *वकालतनामा* अभिलेख पर नहीं है। तदनुसार, श्री हसीजा ने यह आश्वासन दिया कि वे प्रतिवादियों को सूचित करेंगे कि वे वैकल्पिक व्यवस्था करें और अगली

सुनवाई पर उपस्थित हों। इसके बाद, 14.07.2022 को सुश्री प्राची और श्री कार्तिक चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए और एक सप्ताह के भीतर *वकालतनामा* दाखिल करने के लिए समय माँगा तथा मामले को 10.10.2022 को दलीलों की पूर्ति हेतु नियत किया गया।

27. 10.10.2022 पर, आश्चर्यजनक रूप से, श्री हसीजा फिर से उपस्थित हुए, यहां तक कि विद्वान संयुक्त निबंधक के समक्ष बयान देने के बाद भी कि वह अपने वकालतनामा को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, और फिर से प्रतिवादियों की ओर से लिखित बयान दायर करने के लिए और समय मांगा।

28. हालाँकि, विद्वान संयुक्त निबंधक ने यह नोट करने के बाद कि आज तक न तो वकालतनामा दायर किया गया है और न ही प्रतिवादियों की ओर से लिखित बयान दर्ज किया गया है, लिखित बयान दायर करने के उनके अधिकार को बंद कर दिया। इसके बाद, मामले को 22.11.2022 के लिए अदालत के समक्ष रखा गया। 27.10.2022 पर, हालांकि मामला कुछ नए आवेदनों की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, न्यायपीठ आसीन नहीं हुई और मामले को बस 04.11.2022 के लिए फिर से अधिसूचित किया गया था, यानी तय की गई तारीख पर। 04.11.2022 पर जब अंत.आ.स.17462/2022 (वादी द्वारा दायर आदेश XIIIA के तहत) को अदालत द्वारा सुनवाई के लिए लिया गया था, क्योंकि कोई भी प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं हुआ था, तो उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की गई थी।

29. यह घटनाक्रम यह स्पष्ट करता है कि यद्यपि प्रतिवादियों के पूर्ववर्ती अधिवक्ता नियमित रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहे थे, वे किसी न किसी बहाने से स्थगन मांग रहे थे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 09.08.2023 को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अंतर्गत दिल्ली बार काउंसिल के समक्ष अपने पूर्ववर्ती अधिवक्ता के विरुद्ध दायर की गई शिकायत का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पूर्ववर्ती अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिनिधित्व गैर-पेशेवर, लापरवाह और असावधान तरीके से किया, जिसमें वर्तमान मामला तथा तीस हज़ारी न्यायालयों में लंबित प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य दो मामले भी शामिल हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के एक मामले में, जिसे श्री हसीजा देख रहे थे, प्रतिवादी संख्या 1 का लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार वर्ष 2022 में समाप्त कर दिया गया था। अतः शिकायत में प्रार्थना की गई है कि श्री हसीजा के विरुद्ध उनके गैर-पेशेवर आचरण के लिए कठोर कार्रवाई की जाए।

30. शिकायत की सामग्री से, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपने पूर्ववर्ती वकील के अव्यावसायिक और लापरवाहीपूर्ण आचरण से व्यथित हैं और यह तथ्य दिनांकित 10.11.2021, 04.02.2022, 18.04.2022, 14.07.2022 और 10.10.2022 के आदेशों से स्पष्ट रूप से सामने आता है।

31. यह तय कानून है कि एक निर्दोष पक्ष को अपने एजेंट की निष्क्रियता, जानबूझकर चूक या दुराचार के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए। साथ ही ऐसे पक्ष को केवल इसलिए अन्याय का सामना नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके चुने हुए अधिवक्ता[4] ने चूक की है। यह समान रूप से स्थापित कानून है कि आदेश IX नियम 7 में प्रदान की गई अभिव्यक्ति 'ठोस कारण' को एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए[5]।

32. मेरे विचार को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के ***हिमांशु खन्ना और ए. एन. आर. बनाम.राजीव खन्ना और अन्य***[6] मामले में दिए गए निर्णय से समर्थन प्राप्त है, जिसमें इस न्यायालय ने आदेश IX नियम 7 के अंतर्गत विधि का प्रतिपादन करते हुए अनुच्छेद 32, 33, 34, 35, 36 एवं 37 में निम्नलिखित कहा है:

> *"32. गुण-दोष के आधार पर मामले पर निर्णय लेने से पहले, यह न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 7 के संबंध में निर्धारित कानून पर पुनर्विचार करेगा।*
>
> *33. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 7 के प्रावधानों के प्रासंगिक हिस्से को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः*
>
> > *"नियम. 7. उस परिस्थिति में प्रक्रिया जहाँ प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपस्थित होता है और पिछली गैर-उपस्थिति के लिए ठोस कारण निर्धारित करता है।*

[4] रफीक और एक अन्य बनाम मुंशीलाल और दूसरा, (1981) 2 एस. सी. सी. 788।

[5] आर. के. गुप्ता, प्रो.संदीप कंस्ट्रक्शन बनाम। पिंक को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, 1995 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 835।

[6] 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 8487

जहाँ न्यायालय ने वाद की सुनवाई को एकतरफा रूप से स्थगित कर दिया हो और प्रतिवादी, ऐसी सुनवाई के समय अथवा उससे पूर्व उपस्थित होकर अपनी पूर्व अनुपस्थिति का उचित कारण प्रस्तुत करता है, वहाँ उसे, न्यायालय द्वारा लागत अथवा अन्य किसी शर्त पर निर्देशित किए जाने पर, वाद का उत्तर देने हेतु उसी प्रकार सुना जा सकता है मानो वह अपनी उपस्थिति हेतु नियत तिथि पर उपस्थित हुआ हो।"

34. न्यायालयों ने अनेक निर्णयों में यह माना है कि एकतरफा कार्यवाही का अर्थ केवल यह है कि कार्यवाही दूसरी पक्ष की अनुपस्थिति में आगे बढ़ाई जाए। जहाँ वादी उपस्थित होता है और प्रतिवादी, विधिवत सम्मन मिलने के बावजूद, उपस्थित नहीं होता है, वहाँ न्यायालय वाद की सुनवाई एकतरफा कर सकता है और प्रतिवादी के विरुद्ध आदेश पारित कर सकता है। ऐसा पारित आदेश विधिक, वैध, प्रभावी तथा अन्य किसी आदेश की तरह ही लागू करने योग्य होता है।

35. तथापि, एक एकतरफा आदेश केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब ठोस कारण प्रस्तुत किया जाए। कानून बनाने वालों ने विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XI नियम 7 में "ठोस कारण" शब्द का प्रयोग किया है, जिससे न्यायालय को यह स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि अभिलेख पर अपेक्षाकृत कम प्रमाण/साक्ष्य होने पर भी न्यायालय एकतरफा पक्ष को आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है।

36. माननीय उच्चतम न्यायालय ने जी. पी. श्रीवास्तव बनाम आर. के. रायज़ादा, (2000) 3 एस. सी. सी. 54 के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है न्यायालयों के पास एकतरफा आदेश को निरस्त करने का व्यापक विवेकाधिकार है, यदि न्यायालय यह संतुष्ट हो जाए कि "पर्याप्त कारण" मौजूद है। *उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैं:*

*"7...."**पर्याप्त कारण" का अभाव-उपस्थिति से संबंध उस तिथि से है जिस दिन अनुपस्थिति को एकपक्षीय कार्यवाही का आधार बनाया गया था, और और इसे पूर्ववर्ती परिस्थितियों तक***

> ***विस्तारित नहीं किया जा सकता।*** *यदि प्रतिवादी की अनुपस्थिति के लिए उस नियत तिथि पर 'पर्याप्त कारण' सिद्ध हो जाता है, जब उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, तो उसे पूर्व की उपेक्षा के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, जिसे पहले ही अनदेखा कर दिया गया था और इस प्रकार क्षम्य माना गया था।* ***ऐसे मामले में जहाँ प्रतिवादी तुरंत और विधि द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर न्यायालय से संपर्क करता है, विवेक सामान्यतः उसके पक्ष में प्रयोग किया जाता है, बशर्ते अनुपस्थिति दुर्भावनापूर्ण या जानबूझकर न हो। मामले में किसी पक्ष की अनुपस्थिति के लिए दूसरे पक्ष को उपयुक्त लागत द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकती है और विवाद का निपटारा गुण-दोष के आधार पर किया जा सकता है।"***
>
> ***37. अदालतों ने लगातार यह निर्धारित किया है कि यह तय करने के लिए कि क्या किसी मुकदमे को अदालत द्वारा एकपक्षीय सुनवाई से चलाया जाएगा, यह है कि जिस पक्ष के विरुद्ध वाद को एकतरफा आदेशित किया गया है, वह अपनी अनुपस्थिति के लिए 'उचित अथवा पर्याप्त कारण' प्रस्तुत कर पाया है या नहीं। यदि न्यायालय उक्त पक्ष के कारणों से संतुष्ट हो जाता है, तो वह उस आदेश को निरस्त कर सकता है जिसके अंतर्गत न्यायालय ने उस पक्ष के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की थी।"***
>
> *(जोर दिया गया)*

33. इस मोड़ पर, ***सचिव, बागवानी विभाग, चंडीगढ़ और अन्य बनाम रघु राज***[7] जिसमें, पैरा 23-29 में, माननीय सर्वोच्च के निर्णय को संदर्भित करना उपयुक्त होगा, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः-

> *"23. अब यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि जब किसी अधिवक्ता के मुवक्किल का मामला सुनवाई हेतु न्यायालय में*

[7] (2008) 13 एससीसी 395

आता है, तो अधिवक्ता को अनुपस्थित रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह न्यायालय में मामले की सुनवाई हेतु उपस्थित होने या वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए बाध्य है। 'पर्याप्त कारण' के बिना न्यायालय में अनुपस्थिति क्षम्य नहीं हो सकती। ऐसी अनुपस्थिति न केवल अधिवक्ता के मुवक्किल के प्रति अनुचित है, बल्कि न्यायालय के प्रति भी अनुचित और अशिष्ट है, और इसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ।

24. साथ ही, जब कोई पक्ष एक ऐसे अधिवक्ता को नियुक्त करता है जिससे सुनवाई के समय उपस्थित होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन वह उपस्थित होने में विफल रहता है, तो आम तौर पर, किसी पक्ष को अधिवक्ता की चूक या गैर-उपस्थिति के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए।

25. रफीक बनाम मुंशीलाल [(1981) 2 एस. सी. सी. 788] मामले में उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा उसके वकील की अनुपस्थिति में की गई अपील का निपटारा कर दिया। जब अपीलकर्ता को इस तथ्य के बारे में पता चला कि उसकी अपील का निपटारा अधिवक्ता की अनुपस्थिति में किया गया था, तो उसने अपील को खारिज करने वाले आदेश को वापस लेने और अपील की सुनवाई में भाग लेने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दायर किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन को अन्य बातों के साथ साथ आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं था कि अधिवक्ता क्यों अनुपस्थिति रहे। पीड़ित अपीलकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपील को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हुए और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निपटाने के लिए रिमांड करते हुए, इस न्यायालय ने कहाः (रफीक मामला [(1981) 2 एस. सी. सी. 788], एस. सी. सी. पीपी. 789-90, पैरा 3)

"3. इस मामले की चिंताजनक विशेषता यह है कि हमारे वर्तमान प्रतिद्वंद्वी विधिक तंत्र में, जहाँ पक्षकार सामान्यतः अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से उपस्थित होते हैं, पक्षकार का दायित्व केवल अपने अधिवक्ता का चयन करना, उसे संक्षिप्त जानकारी देना, उसकी माँगी गई फीस का भुगतान करना और फिर शेष कार्यों के लिए उस अधिवक्ता पर विश्वास करना होता है। ***पक्षकार ग्रामीण क्षेत्र से हो सकता है और उसे न्यायालय की प्रक्रिया का कोई ज्ञान न हो। अधिवक्ता को नियुक्त करने के बाद पक्षकार यह विश्वासपूर्वक मान सकता है कि अधिवक्ता उसके हितों की रक्षा करेगा।*** *अपील की सुनवाई के समय पक्षकार की व्यक्तिगत उपस्थिति न केवल आवश्यक नहीं होती बल्कि शायद ही उपयोगी होती है।* ***अतः पक्षकार, अपनी ओर से कार्यवाही में प्रभावी भागीदारी हेतु जो कुछ भी कर सकता था, कर चुका होता है और उसे यह आश्वासन रहता है कि उसे उच्च न्यायालय जाकर यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी अपील के संबंध में क्या हो रहा है और न ही उसे अधिवक्ता की निगरानी करनी है कि वह सूचीबद्ध मामले में उपस्थित हो रहा है या नहीं। यह उसका कार्य नहीं है।*** *श्री ए.के. सांघी ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के बीच यह प्रथा विकसित हो गई है कि वे तब अनुपस्थित रहते हैं जब उन्हें कोई विशेष पीठ पसंद नहीं होती। संभव है कि इस विषय में वे बेहतर जानकारी रखते हों। इस संबंध में हमारी अज्ञानता ही हमारे लिए सुखद है। भले ही हम इस कथित प्रथा पर अपनी स्वीकृति की मुहर न लगाएँ, यदि हम इस मामले को खारिज कर दें तो क्या इससे ऐसी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के बजाय न्याय वितरण प्रणाली की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुँचेगी?* ***उस पक्षकार की क्या गलती है जिसने अपनी***

ओर से अपेक्षित सभी कार्य कर दिए हों, फिर भी अपने अधिवक्ता की चूक के कारण उसे नुकसान उठाना पड़े? यदि हम इस अपील को खारिज कर दें, जैसा कि श्री ए.के. सांघी ने हमें आमंत्रित किया है, तो पीड़ित केवल वह पक्षकार होगा जिसका हित अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व किया था, न कि वह अधिवक्ता जो उपस्थित नहीं हुआ। हमारे सामने यह प्रश्न है कि क्या यह उचित है कि पक्षकार अपने प्रतिनिधि की निष्क्रियता, जानबूझकर की गई चूक या दुराचार के कारण पीड़ित हो? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से 'नकारात्मक' है। संभव है कि अधिवक्ता ने जानबूझकर या जानमूझकर अनुपस्थिति दर्ज की हो। *इस विषय में हमारे पास कोई सामग्री नहीं है और हम इस पर कुछ नहीं कहते।* ***तथापि, हम निर्दोष पक्षकार को केवल इसलिए अन्याय का शिकार नहीं होने दे सकते कि उसके चुने हुए अधिवक्ता ने चूक की।*** *अतः हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हैं–चाहे वह अपील को खारिज करने का आदेश हो या उस आदेश को वापस लेने से इनकार करने का आदेश–और निर्देश देते हैं कि अपील को उच्च न्यायालय में उसके मूल क्रमांक पर पुनः बहाल किया जाए तथा विधि के अनुसार उसका निपटारा किया जाए।"*

(जोर दिया गया)

26. लाची तिवारी बनाम भूमि अभिलेख निदेशक [1984 Supp SCC 431] में उच्च न्यायालय ने 1976 में दायर याचिका में रूल निसी जारी किया था। सात वर्ष बाद, 1983 में रूल निसी की सुनवाई हेतु मामला सूचीबद्ध हुआ। यह न्यायालयों की छुट्टियों के बाद पुनः खुलने का पहला दिन था। याचिकाकर्ता ने तीन अधिवक्ताओं को नियुक्त किया था, किन्तु जब मामला

पुकारा गया तो उनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं था। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण याचिका को खारिज कर दिया और रूल निसी को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात याचिकाकर्ता की ओर से आदेश को वापस लेने और याचिका को पुनः बहाल करने हेतु आवेदन दायर किया गया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए मामले को विधि के अनुसार पुनः निपटान हेतु उच्च न्यायालय को वापस भेजा और रफीक [(1981) 2 एससीसी 788] में निर्धारित कानून को दोहराते हुए, इस अदालत ने कहाः (लाची तिवारी मामला [1984 पूरक एस. सी. सी. 431], एस. सी. सी. पीपी. 432-33, पैरा 4)

> *"4. तथ्यों का मात्र वर्णन ही इस अपील में निहित बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त है। याचिकाकर्ता ने 1976 में रूल निसी प्राप्त किया और उसकी सुनवाई के लिए सात वर्षों तक प्रतीक्षा की। अचानक एक दिन उच्च न्यायालय ने अपने कैलेंडर के अनुसार इस मामले को 21-4-1983 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध कर दिया।* ***याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए तीन अधिवक्ताओं को नियुक्त किया था। हमें समझ नहीं आता कि उससे और क्या अपेक्षित हो सकता था। आगे, हमें यह भी समझ नहीं आता कि उसे और कौन से कदम उठाने चाहिए थे ताकि बिना सुने ही बाहर किए जाने से बच सके।"***

27. मंगीलाल बनाम एम. पी. राज्य [(1994) 4 एस. सी. सी. 564:1994 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 1308] निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को उच्च न्यायालय द्वारा वकीलों द्वारा "हड़ताल" के कारण अपीलकर्ता के वकील की गैर-उपस्थिति के लिए खारिज कर दिया गया था। इस

न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करना अनुचित था। अपील को दाखिल करने के लिए बहाल करने और योग्यता के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था। (ताहिल राम इस्सरदास सदरंगनी बनाम रामचंद इस्सरदास सदरंगनी [1993 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 256] भी देखें।

28. ऊपर निर्दिष्ट मामले के कानून से, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने हमेशा अधिवक्ताओं पर जोर दिया है कि जब भी मामले को सुनवाई के लिए बुलाया जाए, वे पेश हों और बहस करें। ऐसा करने में विफलता मुवक्किल के लिए अनुचित और अदालत के लिए अपमानजनक होगा और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ***साथ ही, न्यायालय ने उस उद्देश्य के साथ न्याय करने पर भी जोर दिया है जिसमें यह उचित है कि दोनों पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों और उनकी सुनवाई की जाए। अदालत द्वारा यह नोट किया गया है कि एक बार जब कोई पक्ष एक अधिवक्ता को शामिल करता है, तो वह सोचता है कि उसका अधिवक्ता तब पेश होगा जब मामला सुनवाई के लिए लिया जाएगा और अदालत अधिवक्ता को प्रस्तुत करने के लिए कहती है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय वकील की अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई के लिए आगे नहीं बढ़ता है।***

29. इन परिस्थितियों में, हमारे मतानुसार, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा किया गया यह निवेदन सार्थक है कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपील का निपटारा नहीं करना चाहिए था।"

(जोर दिया गया)

34. उपरोक्त उल्लिखित कानूनी स्थिति के आलोक में तथ्यों के वर्णन की जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी/आवेदक अपनी अभाव के लिए 'ठोस कारण' दिखाने में समर्थ रहे हैं। प्रतिवादियों/आवेदकों द्वारा दायर वर्तमान आवेदन अन्यथा, विलंब की माफी की सीमा द्वारा समर्थित नहीं है, जैसा कि वादी/गैर-आवेदक द्वारा तर्क दिया गया है, क्योंकि यह एक तय कानून है कि आदेश IX नियम 7[8] के तहत आवेदन दायर करने की कोई सीमा नहीं है।

35. जहां तक ***हरिंदर सिंह*** (उपरोक्त) मामले में श्री केवलानी द्वारा दिए गए निर्णय का संबंध है, तथ्यों के आधार पर यह अलग है, क्योंकि उसमें आवेदक/प्रतिवादी अदालत को 'ठोस कारण' दिखाने में समर्थ नहीं था। उसमें आवेदक को निचली अदालत द्वारा वर्ष 2008 में एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी, जबकि, एकपक्षीय आदेश को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन वर्ष 2010 में दायर किया गया था। इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा यह विशेष रूप एकपक्षीय नोट किया गया था कि इसमें आवेदक ने यह कारण बताने के अलावा कि उसने वर्ष 2010 में एक नए वकील को नियुक्त किया था, जिसने जनवरी 2010 में मामले की फाइल का निरीक्षण किया था और उसके बाद, आवेदक को पता चला कि एकपक्षीय जनवरी 2008 में एकपक्षीय रूप एकपक्षीय आगे बढ़ाया गया है, उसने कोई कारण नहीं बताया कि आवेदक के लिए एक

[8] कृपया देखें - (i) संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 425; (ii) राजसेकर बनाम गोविंदम्मल, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 18065

नए वकील को नियुक्त करने का अवसर क्या था और किस तारीख को नए वकील को नियुक्त किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, एकपक्षीय आदेश को दरकिनार करने की मांग करने वाला आवेदन बर्खास्त कर दिया गया।

36. इसी प्रकार, ***सुभाष कुमार*** *(उपर्युक्त)* के मामले में दिया गया निर्णय भी वादी के पक्ष को आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि उस मामले में प्रतिवादी समय पर *एकपक्षीय आदेश* को निरस्त करने हेतु आवेदन दाखिल करने में लापरवाह था और साथ ही, 'ठोस कारण' बताने के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति नहीं है।

37. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मैं संतुष्ट हूँ कि प्रतिवादीगण आदेश दिनांक 04.11.2022 को उस सीमा तक वापस लेने के लिए 'ठोस कारण' दिखाने में सक्षम रहे हैं, जहाँ तक उन्हें *एकपक्षीय रूप से* आगे बढ़ाया गया था। तदनुसार, उस सीमा तक आदेश दिनांक 04.11.2022 वापस लिया जाता है। प्रतिवादीगण को वाद का उत्तर देने हेतु सुना जाएगा, मानो वे अपनी उपस्थिति के लिए नियत तिथि पर उपस्थित हुए हों।

38. यह स्पष्ट किया जाता है कि घड़ी को आदेश दिनांक 04.11.2022 तक पीछे कर दिया जाएगा, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि प्रतिवादीगण का लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार, जो आदेश दिनांक 10.10.2022 द्वारा बंद

कर दिया गया था, पुनर्जीवित नहीं होगा क्योंकि उक्त आदेश, आदेश दिनांक 04.11.2022 से पूर्व का है। तदनुसार आदेशित किया जाता है।

39. आवेदन उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारित किया जाता है।

न्या. विकास महाजन,

10 जनवरी, 2025
एन.एस. अश्वल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*